

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //


क्रमांकC/4376...../

जबलपुर, दिनांक 01/09/2022

दो-14-73/20

शाहिना खान, P.A., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 04.07.22 से 02.08.22 तक 30 दिन में से दिनांक 04.07.22 से 16.07.22 तक 13 दिन को यथावत् एवं शेष अवधि के अवकाश को निरस्त करते हुए अवकाश नियम 38 के अनुसार दिनांक 17.07.22 से दिनांक 12.01.23 तक 180 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार


(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांकC/4377...../

जबलपुर, दिनांक 01/09/2022

दो-14-73/20

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. शाहिना खान, P.A., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(यू.एस. दुबे)
ओ.एस.डी. कम-पी.पी.एस.